कार्यालय अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) म0प्र0 भोपाल

क्रमांक/एफ-7/60/1996/10-06 भोपाल, दिनांक 02-04-2003

प्रति,

1. समस्त वन संरक्षक
2. समस्त वन मंडल अधिकारी

मध्यप्रदेश

विषयः- जलाऊ लकड़ी में सूखत का प्रतिशत निर्धारण बाबत् ।

---0---

संदर्भित पत्र द्वारा शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1999 तक के जलाऊ लकड़ी के प्रकरणों में जलाऊ लकड़ी में सूखत के कारण कमी भूतलक्षी प्रभाव से निम्नानुसार मान्य की जावेः-

क्र.	कटाई के बाद की अवधि	भार में कमी का प्रतिशत			भार में कुल कमी (प्रतिशत में)	
		सूखत के कारण	सड़ने के कारण	हैंडलिंग के कारण	वर्ष के दौरान	वर्ष के अतं तक कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्रथम वर्ष	15	10	2	27	27
2.	द्वितीय वर्ष	5	10	0	15	42
3.	तृतीय वर्ष	0	15	0	15	57
4.	चतुर्थ वर्ष	0	20	0	20	77
5.	पंचम वर्ष	0	23	0	23	100

लेकिन यह कमी उन प्रकरणों में लागू नहीं होगी, जिनमें जलाऊ लकड़ी का निर्वर्तन चट्टों के रूप में ही किया गया हो ।

प्रायः देखने मे आया है कि प्रदेश के विभिन्न वन मंडलों में अभी भी शहरी क्षेत्र में उपभोक्त डिपो विभाग द्वारा चलाये जा रहे हैं और उसमें लकड़ी का निर्वर्तन वजन से किया जा रहा है । अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि जुलाई 1999 के बाद प्रदेश के किसी वन वन मंडल में यदि जलाऊ लकड़ी के वजन से निर्वर्तन के कारण कोई भी सूखत का प्रकरण बनता है तो उसकी पूर्ण वसूली संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से की जायेगी ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान में शासन के समक्ष 1999 के पहले के प्रकरण में सूखत के प्रतिशत को लेकर महालेखाकार द्वारा उठाई गई काफी बड़ी संख्या में कंडिकायें निर्णय हेतु की लंबित है उसमें भी यह दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है कि जुलाई 1999 के परिपत्र के बाद कोई भी सूखत की स्थिति निर्मित नहीं होगी क्योंकि चट्टों का निर्वर्तन चट्टों के रूप में ही किया जाना है ।

यदि जुलाई 1999 के बाद कहीं भी जलाऊ लकड़ी के सूखत का प्रकरण बना तो उस प्रकरण में जिम्मेदारी निर्धारित करते हुये पूर्ण वसूली की कार्यवाही की जाये । कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुये उपरोक्त निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप लंबित कंडिकाओं का एवं सी.ए.जी. पैरा का शीघ्र निराकरण करें तथा इसके भौतिक सत्यापन का प्रमाण पत्र भी संबंधित वन मंडल अधिकारी द्वारा दिये जायें कि उपरोक्त मापदण्ड के फलस्वरूप कोई भी कंडिकायें निराकरण हेतु लंबित नहीं है । इस संबंध में कार्यालीन पत्र क्रमांक 689 दिनांक 10-02-03 से भी निर्देश दिये गये है ।

हस्ता.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)

मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ/07/60/1996/10-06/निस्तार/1273-ए भोपाल, दिनांक 02-04-2003

प्रतिलिपि:-

मुख्य वन संरक्षक (वित्त एवं बज्ट) मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

हस्ता.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल